राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण

सन् 1972 में भारत को स्टॉकहोम में आयोजित "मानव और जीवमण्डल" नामक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा प्राप्त हुई। इस संगोष्ठी में भारत की तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भाग लिया था और भारत में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम प्रारम्भ किए।

1. राष्ट्रीय पर्यावरण नियोजन तथा समायोजन समिति (National Committee on Enviroinmental Planning and Coordination)—इस समिति का कार्य पर्यावरण सम्बन्धी विषयों पर सरकार को सुझाव देना था। बाद में इस समिति का नाम बदल कर "पर्यावरण नियोजन राष्ट्रीय समिति" (NCEP) कर दिया गया। इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया। पर्यावरण जागरुकता, अधिवास नियोजन तथा पारिस्थितिक सर्वेक्षण को इसके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया। NCEP की अनुशंसा पर राज्यों में पर्यावरण बोर्डों की स्थापना की गई।

2. तिवारी समिति—सन् 1980 में भारतीय पर्यावरण के अध्ययन के लिए एन.डी. तिवारी की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण समस्याओं-अधिवास की समस्या, पानी विकास, शौचालय तथा धूल-धुआँ आदि को रेखांकित किया। तिवारी समिति ने पर्यावरण प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए—

(i) ऐसी पशु-पक्षी या अन्य जन्तुओं, जिनका अस्तित्व खतरे में है या जिनके अभाव से देश में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, उनके निर्यात व्यापार पर रोक लगाई जाये।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा चरागाह-सम्बन्धी नियम बनाकर पशुचारण प्रथा का उचित प्रकार से नियमन किया जाये।

(iii) पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले रसायनों के उत्पादन व वितरण को सीमित व नियंत्रित किया जाये।

Scanned by TapScanner

(iv) जैव-मण्डल के संरक्षण की व्यवस्था की जाये।

(v) ईंट भट्टों में उपजाऊ मिट्टी का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाये।

(vi) मृदा संरक्षण के प्रबन्ध किऐ जायें।

(vii) प्रदूषण नियंत्रण के कानून बनाकर उनका कड़ाई से पालन किया जाये।

(viii) वनों का व्यवसायीकरण बंद हो।

(ix) ग्रामांचलों में ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।

(x) ग्रामांचलों में अधिवास की समस्याएँ हल की जानी चाहिए।

3. पर्यावरण विभाग (Department of Environmental)—तिवारी समिति की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार ने एक ''पर्यावरण विभाग'' की स्थापना की जिसे निम्नलिखित दायत्वि सौंपे गए—

(i) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (Botanical Survey of India)

(ii) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India)

(iii) जल संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना (Establishment of Central Board for Water Conservation and Pollution Control)

(iv) प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना (Establishment of National Muesum of Natural History)

4. पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्रालय (Ministory of Environmental, Forest and Wild Life)—पर्यावरणीय समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए सन् 1985 में भारत सरकार ने प्रथम 'पर्यावरण', 'वन और अन्य जीव मंत्रालय' स्थापित किया जिसे निम्नलिखित दायित्व सौपे गए—

(i) पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन करना।

(ii) पर्यावरणीय समस्याओं पर संगोष्ठियों का आयोजन करना।

(iii) पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(iv) पर्यावरण से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।

(v) वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अभ्यारण्यों की व्यवस्था करना।

(vi) पर्यावरणीय जागरुकता का प्रचार व प्रसार करना।

(vii) वनों का संरक्षण तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना।

(viii) भूमि संरक्षण की योजनाएँ बनाना तथा उनका क्रियान्वयन करना।

(ix) वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण को नियन्त्रित करने वाले यन्त्रों के आविष्कार में प्रोत्साहन देना।

(x) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण करना।

(xi) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण करना।

(xii) जल प्रदूषण नियंत्रण की परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना।

(xiii) वायु व ध्वनि नियंत्रण के प्रयास करना।

(xiv) बंजर भूमि का विकास करना।

(xv) भारतीय वन सेवा।

(xvi) पर्यावरण संवर्धन के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं की आर्थिक व तकनीकी सहायता करना।

Scanned by TapScanner

पर्यावरणीय संरक्षण हेतु सरकारी प्रयासों का संक्षिप्त विवरण
(Short Summary of Government Efforts for Environment Conservation)

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए महत्त्वपूर्ण प्रयासों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

1. गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था की स्थापना—सन् 1988 में केन्द्र सरकार ने अल्मोड़ा जिले में पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने और पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखने के लिए इस संस्था की स्थापना की।

2. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड—ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर भूमि का विकास करने के लिए सन् 1985 में भारत सरकार ने इस बोर्ड की स्थापना की।

3. राष्ट्रीय वन तथा वन्य जीव-सम्बन्धी नीति का निर्धारण—पर्यावरण में प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए सन् 1988 में केन्द्र सरकार ने इस नीति का निर्माण किया।

4. जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र—केन्द्र सरकार ने कुछ वनों और वन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया है जहाँ शिकार करना प्रतिबन्धित है। जैसे भरतपुर में पक्षियों का केन्द्र है। सन् 1992 में इन क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएँ स्वीकृत हुईं।

5. हरित ईंधन योजना—1 अप्रैल, 1955 से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में सीसारहित पैट्रोल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना को हरित ईंधन योजना अर्थात् ग्रीन फ्यूल स्कीम कहते हैं। इससे जहरीली गैसें वायुमण्डल में उत्सर्जित नहीं होगी।

6. अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण—वातावरण और वन से सम्बन्धित मंत्रालय की सहायता से अनेक संस्थाएँ तथा विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण का स्वरूप सामने आ रहा है।

7. गंगा कार्य योजना—सन् 1985 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय गंगा बोर्ड की स्थापना की गई जो गंगा को स्वच्छ रखने की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित करता है। देश के विभिन्न राज्यों में इस समय लगभग 267 योजनाएँ चल रही हैं।

8. प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का निर्माण—प्रदूषण नियंत्रण-सम्बन्धी कई कानून बनाये गये हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कानूनों का कड़ाई से पालन कराने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए हैं।

9. राष्ट्रीय अनुसंधान फैलोशिप—सन् 1995 में अनुसंधान के लिए केन्द्र सरकार के अधीन इस फैलोशिप की स्थापना हुई।

10. राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान—पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अनेक संस्थानों को जागरूकता अभियान चलाने के लिए वित्तीय सहायता देता है। सन् 1997 में भारत सरकार ने ₹10.38 लाख की राशि स्वीकृत की थी।

अन्य प्रयास

केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय प्रयास निम्नलिखित हैं—

1. वनों के क्षेत्रफल का विकास।
2. पर्यावरण-सम्बन्धी आन्दोलन।
3. जन जागरण कार्यक्रम।

Scanned by TapScanner

4. सचल पर्यावरणीय प्रयोगशाला।
5. उद्योग लगाने से पहले अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना।
6. पर्यावरण सम्बन्धी पुरस्कारों की घोषणा।

Scanned by TapScanner